संख्या-27/2021/967जेएल/22-3-2021-100(5)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2021*

विषय- जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदीगण (1)-हरगोविन्द सिंह पुत्र श्री महंगू सिंह, (2)-संसार सिंह पुत्र श्री इन्द्रसेन सिंह, (3)- दिनेश सिंह उर्फ रम्मपत उर्फ खोड़ा पुत्र श्री राममूरत सिहं, (4)-सीताराम यादव पुत्र श्री श्यामलाल यादव एवं (5)- चन्दन यादव पुत्र श्री शंकर यादव को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6549/सामा-1(8)/70/बन्दी स्था0/2020, दिनांक 12-03-2021, पत्र संख्या-6550/सामा-1(8)/72/बन्दी स्था0/2020, दिनांक 12-03-2021, पत्र संख्या-6551/सामा-1(8)/73/बन्दी स्था0/2020, दिनांक 12-03-2021, पत्र संख्या-6552/सामा-1(8)/74/बन्दी स्था0/2020, दिनांक 12-03-2021 एवं पत्र संख्या-6553/सामा-1(8)/75/बन्दी स्था0/2020, दिनांक 12-03-2021 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध निम्नलिखित 05 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम एवं पिता का नाम	निरूद्धि की कारागार	स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कारागार
1	2	3	4
1	हरगोविन्द सिंह पुत्र श्री महंगू सिंह	जिला कारागार आजमगढ़	केन्द्रीय कारागार वाराणसी
2	संसार सिंह पुत्र श्री इन्द्रसेन सिंह	जिला कारागार आजमगढ़	जिला कारागार फतेहगढ़
3	दिनेश सिंह उर्फ रम्मपत उर्फ खोड़ा पुत्र श्री राममूरत सिहं	जिला कारागार आजमगढ़	जिला कारागार बरेली
4	सीताराम यादव पुत्र श्री श्यामलाल यादव	जिला कारागार आजमगढ़	जिला कारागार चित्रकूट
5	चन्दन यादव पुत्र श्री शंकर यादव	जिला कारागार आजमगढ़	जिला कारागार लखनऊ

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-27/2021/967जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, वाराणसी एवं लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़, वाराणसी, फतेहगढ़, बरेली, चित्रकूट एवं लखनऊ।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, फतेहगढ़, बरेली, चित्रकूट
6- अधीक्षक, जिला कारागार आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार आजमगढ़ से सम्बन्धित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
8- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़, बरेली, चित्रकूट एवं लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in